सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25(3) के अंतर्गत तिमाही रिपोर्ट (30 सितम्बर, 2009 को समाप्त तिमाही (01.07.2009 से 30.09.2009 तक)

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	333
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	7 धारा(3) के अधीन 1 मामला 8(1) (घ) के अधीन 2 मामलें 8(1)(ज) के अधीन 1 मामला 2(च) के अधीन 3 मामलें
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	छः दो मामलों में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी का निर्णय मान्य ठहराया गया था। एक अपील प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित की गई थी तथा अन्य अपीलें प्रक्रियाधीन हैं।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ड.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	**4851/- रूपए**
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	भारत निर्वाचन आयोग ने आर टी आई निवेदनों के प्रभावशाली निपटान के लिए सभी अवर सचिवों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	--

(ए.एन. दास)
अवर सचिव
एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी